छत्तीसगढ़ पुलिस का दावा

ग्रामीणों की वेशभूषा में गुमराह करने का प्रयास कर रहे नक्सली

बीजापुर, 11 मई (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षाबलों से मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने खुद को ग्रामीण दिखाने के लिए कथित तौर पर वर्दी उतारकर ग्रामीणों की वेशभूषा धारण कर लिया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को गंगालूर थाना क्षेत्र में पीड़िया गांव के पास जंगल में 12 घंटे तक चले अभियान के दौरान सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच 9–10 बार गोलीबारी हुई, जिसमें 12 नक्सली मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह नक्सलियों के शव बीजापुर जिला मुख्यालय लाए गए। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि मारे गए सभी नक्सलियों की पहचान कर ली गई है और उनके सिर पर कुल 31 लाख रुपए का नकद इनाम था। यादव ने बताया कि इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने आठ–आठ लाख रुपए के इनामी, मिलिट्री नंबर दो के सदस्य बुधु ओयाम, कल्लू पूनेम तथा पांच–पांच लाख रुपये के इनामी गंगालूर एरिया कमेटी सदस्य लक्खे कुंजाम और मिलिट्री प्लाटून नंबर 12 के सदस्य भीमा कारम समेत 12 नक्सलियों को मार गिराया है। उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों में दो–दो लाख रुपए के इनामी सन्नु लकोम और सुखराम अवलाम भी शामिल हैं। अन्य नक्सलियों पर दस–दस हजार रुपए का इनाम घोषित हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िया गांव के जंगलों में स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य चैतु, लेंगु और पापाराव, पीएलजीए कंपनी नंबर दो के कमांडर वेल्ला, डिविजनल कमेटी सचिव हुंगा, प्लाटून नम्बर 13 का कमांडर झीतरू, प्लाटून नम्बर 12 का कमांडर सुखराम और अन्य लगभग 150 सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर आठ मई को डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। यादव ने बताया कि अभियान के दौरान 10 मई की सुबह लगभग छह बजे पीड़िया के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच अलग–अलग स्थानों पर नौ बार मुठभेड़ हुई।

पुलिस के अनुसार, राज्य के बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ अलग–अलग मुठभेड़ों में इस साल अब तक 103 नक्सली मारे गए हैं।

पहली बार गोलीबारी के बाद नक्सलियों ने अपनी वर्दी को उतारकर सिविल ड्रेस पहन लिया और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों के बीच घुलमिल गए हैं।

मुठभेड़ सुबह छह बजे से शाम पांच बजे बजे तक लगभग 12 घंटे तक चली। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान एक अनोखी बात जो हमने पहली बार देखी, वह यह थी कि पहली बार गोलीबारी के बाद नक्सलियों ने अपनी वर्दी को उतारकर सिविल ड्रेस पहन लिया और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों के बीच घुलमिल गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसलिए मुठभेड़ के बाद इलाके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनकी पहचान की जा रही है। जिसके बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे कुम्भाणी ने कहा

पार्टी ने पहले भी मेरे साथ विश्वासघात किया था

सूरत, 11 मई (भाषा)।

कांग्रेस के निलंबित नेता निलेश कुम्भाणी ने गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र खारिज होने के करीब 20 दिन बाद शनिवार को आरोप लगाया कि पार्टी ने ही पहले 2017 में उनके साथ विश्वासघात किया था। गुजरात की सूरत सीट से 21 अप्रैल को कुम्भाणी का नामांकन खारिज होने के बाद भाजपा के प्रत्याशी वहां से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए।

कुम्भाणी ने कहा कि वे इतने दिनों तक चुप थे क्योंकि वे कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल और राजकोट से लोकसभा उम्मीदवार परेश धनानी का सम्मान करते हैं। कुम्भाणी ने कहा कि कांग्रेस नेता मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं लेकिन यह कांग्रेस ही थी जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में मेरे साथ पहले विश्वासघात किया था, जब सूरत की कामरेज विधानसभा सीट के लिए मेरा टिकट अंतिम क्षणों में रद्द कर दिया गया। यह कांग्रेस थी जिसने पहले गलती की, मैंने नहीं।

उन्होंने दावा किया कि मैं यह नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे समर्थक, कार्यालय कर्मचारी और कार्यकर्ता परेशान थे क्योंकि पार्टी सूरत में पांच स्व–घोषित नेताओं द्वारा संचालित की जा रही है और न तो वे काम करते हैं और न दूसरों को काम करने देते हैं। कुम्भाणी ने कहा कि हालांकि, आप (आम आदमी पार्टी) और कांग्रेस, 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इन नेताओं ने उस वक्त आपत्ति जताई जब मैं यहां आप नेताओं के साथ प्रचार कर रहा था।

सूरत लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र खारिज होने के करीब 20 दिन बाद शनिवार को कांग्रेस के निलंबित नेता निलेश कुम्भाणी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने 2017 में भी उनके साथ विश्वासघात किया था। सूरत सीट से 21 अप्रैल को कुम्भाणी का नामांकन खारिज होने के बाद भाजपा के प्रत्याशी वहां से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए।

यह पूछे जाने पर कि लोकसभा चुनाव में हुए घटनाक्रम क्या कांग्रेस से उनका प्रतिशोध था, कुम्भाणी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और 2017 के राज्य विधानसभा चुनाव में टिकट रद्द किये जाने के अपने आरोप को दोहराया। कुम्भाणी, सूरत नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने कामरेज सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन वह हार गए थे।

खबर कोना

वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर शनिवार को गंगा आरती करते पुजारी।

राजस्थान : प्लाज्मा चोरी मामले में एक गिरफ्तार

जयपुर, 11 मई (भाषा)।

राजस्थान पुलिस ने जयपुर स्थित एक निजी अस्पताल में प्लाज्मा चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त कावेंद्र सागर ने बताया कि जे के लोन अस्पताल के ब्लड बैंक के प्रभारी डाक्टर सत्येंद्र चौधरी के अनुसार, ब्लड बैंक का 'लैब टेक्नीशियन' किशन सहाय कटारिया स्टोर में से 76 यूनिट प्लाज्मा निकाल कर ले गया और यह चुराया गया प्लाज्मा उसकी कार से मिला लेकिन वह फरार हो गया। आरोपी कटारिया को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। डाक्टर सत्येंद्र चौधरी को पद से हटा दिया है और चौधरी को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। राज्य सरकार ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कटारिया को निलंबित कर दिया था और प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

महाराष्ट्र : पूर्व नियोक्ता ने की महिला की हत्या

जालना, 11 मई (भाषा)।

महाराष्ट्र के जालना जिले में पूर्व नियोक्ता ने 40 वर्षीय एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रामनगर इलाके में शुक्रवार रात की है। पुलिस ने 45 वर्षीय आरोपी गणेश कटकड़े को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि महिला सुभिद्रा वैद्य ने हाल ही में आरोपी के रेस्तरां में नौकरी छोड़ी थी लेकिन नियोक्त उस पर काम पर लौटने का दबाव बना रहा था। अधिकारी ने बताया कि कटकड़े नशे की हालत में वैद्य के घर पहुंचा और उसे काम पर लौटने के लिए दबाव बनाने लगा, लेकिन जब महिला ने इनकार कर दिया तो उसने कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि जब महिला का 20 वर्षीय बेटा सचिन उसे बचाने के लिए बीच में आया तो आरोपी ने उसपर भी हमला कर दिया। अधिकारी ने बताया कि वैद्य ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की गोलीबारी

सांबा/जम्मू, 11 मई (भाषा)।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने जम्मू–कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन पर शुक्रवार रात गोलीबारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि बीएसएफ के जवानों ने देर रात पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की आवाजाही देखी और लगभग 24 गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में चला गया। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार सुबह रामगढ़ सेक्टर के नारायणपुर में तलाशी अभियान शुरू किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि ड्रोन ने कहीं कोई हथियार या मादक पदार्थ तो नहीं गिराए।

शोपियां में आतंकियों के दो सहयोगी गिरफ्तार

श्रीनगर, 11 मई (भाषा)।

जम्मू–कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शोपियां के बाबा मोहल्ले के निवासी सुहैब इकबाल मलिक और तुफैल यूसुफ मलिक को मलिक चक क्रासिंग पर बनाई गई एक चौकी से गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

Criminal Court, Ludhiana
(complaint-138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs.
Rajvinder Singh
CNR NO: PBLD03-002736-2021
COMA/1044/2021
Notice To: 1) Rajvinder Singh Address- S/o Rajvinder Singh R/o 46 2 Om Nagar Mohan Nagar Ghaziabad- 201007 Uttar Pradesh
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-06-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Court, Ludhiana
(complaint-138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Jmic, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs.
Sharma Rohitashaw Jagmal
CNR NO: PBLD03-048243-2020
COMA/8630/2020
Notice To: 1) Sharma Rohitshaw Jagmal @ Rohitashaw Jagmal Sharma Address- Plot No 10 SBH Colony Near Peer Bagar Aurangabad-431001 (Maharashtra)
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 13-06-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Court, Ludhiana
(complaint-138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Jmic, Ludhiana
M/s Today Global Crop Protection
Vs.
M/s Anika Pesticides
CNR NO. PBLD03-018962-2021
COMA/9440/2021
Notice To: 1) M/s Anika Pesticides Address- Village Sehour Tehsil Meerganj Bareilly U.P 243304 Through Its Prop. Baij Nath
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 13-06-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

HDFC BANK
We understand your world

विधिक प्रकोष्ठ
0347–ए खजांची चौक प्रथम तल, चरगावां, मेडिकल रोड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 273003

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना। निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ताओं ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किये थे तथा निम्न वर्णित उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। किंतु चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में विफल हो चुके हैं तथा अनियमित बन चुके हैं, अतएव उनके ऋणों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। उनके द्वारा बकाये के रूप में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को देय राशि का अंकन निम्नलिखित तालिका में किया गया है तथा उक्त बकाया राशियों पर भावी ब्याज का भुगतान भी लागू अनुसार किया जाना है तथा वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी होकर प्रभारित होगा।

उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ताओं / बंधककर्ता के नाम : 1. मतिउरेहमान अंसारी पुत्र अहमद अंसारी (प्राथमिक आवेदक), पता : जुड़वानिया नैका छपरा कसिया कुशीनगर – 274206, 2. इदी अहमद अंसारी पुत्र अली हुसैन (सह–आवेदक), पता : श्री राम जानकी नगर वार्ड नं.–13 कसिया कुशीनगर–274402, 3. पंकज कुमार गोंड पुत्र ओम प्रकाश गोंड (गारंटर), पता : कुरमौटा मंझरिया कसिया कुशीनगर–274402	**प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण :** गाटा सख्या–719, अरजी सख्या–613 का, ग्राम परगना–सिंधुआ जोवना, टप्पा मैनपुर, तहसील– पडरौना, जिला– कुशीनगर–274402, विलेख के अनुसार सीमा :– उत्तर– भृगुनाथ, दक्षिण– रोड, पूर्व– अलाउद्दीनपुर अंसारी का मकान, पश्चिम– मैनेजर सिंह की भूमि, क्षेत्रफल : 1308 वर्ग फुट। मालिक का नाम : इदी मोहम्मद अंसारी।	
ऋण सुविधा का प्रकार तथा खाता सं.: 50200056137983 – किशन शकटल, 50200056140292 – किशन शकटल, 50200056142931 – किशन शकटल	**13(2) के अनुसार बकाया / सूचना तिथि :** रु. 1120689.21/– दिनांक 10–09–2023 के अनुसार / सूचना तिथि : 26/02/2024	**एनपीए की तिथि** 01–02–2023

चूंकि उस पते पर प्रेषित की गई सूचनायें, जिसमें आप मूलरूप में निवास करते हैं / व्यवसाय संचालित करते हैं / लाभार्जन हेतु व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं, हमारे पास वापस लौट आई हैं, अतः अब हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिये बाध्य हैं। अतएव आपको एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिवसों के अंदर उपरोक्त देनदारी का देनदारी की संबंधित तिथियों से देनदारी राशि पर ब्याज की संविदाकृत दर पर नियत ब्याज तथा अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि का भुगतान करके अपने दायित्व का निर्वहन करें। ऐसा नहीं करने पर बैंक उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त समस्त अधिकारों अथवा किसी एक अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(13) के निबंधनों के अनुसार आप उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के द्वारा अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।
दिनांक : 12–05–2024, स्थान : गोरखपुर — **कृते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी**

रजिस्ट्री सं.डी.एल.–33004/99 — REGD. No. D.L.–33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.–30042024.253931
CG-DL-E-30042024-253931
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप–खण्ड (ii)
PART II–Section 3–Sub–section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1754] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946
No. 1754] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

का.आ. 1846(अ) – केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **5199(अ) तारीख 07 December 2023,** जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले के गांव – **ब्रम्हौली, आलापुर, हिनांहू, बरियांवा, सलेमपुर निदूरा, कैम्बा, मलाकारज्जाकपुर, जहानाबाद, तालुक–कुंडा मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24B के कि.मी. 124.000 से कि. मी. 164.000 (रायबरेली–इलाहाबाद सेक्शन)** तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप–धारा (3) के अधीन **तारीख 30 दिसम्बर 2023** को **'जनसत्ता'** (हिन्दी) और **'द टाइम्स ऑफ इण्डिया'** (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24B के कि.मी. 124.000 से कि.मी. 164.000 तक (रायबरेली–इलाहाबाद सेक्शन) के प्रतापगढ़ जिले के गाँव–ब्रम्हौली, आलापुर, हिनांहू, बरियांवा, सलेमपुर निदूरा, कैम्बा, मलाकारज्जाकपुर, जहानाबाद, तालुक–कुंडा के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

[फा. सं. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/2017/PIU-Raebareilly/3D]
अमय जैन, उप. सचिव

फर्जी बिल घोटाले में निगम अधिकारी गिरफ्तार

इंदौर, 11 मई (भाषा)।

इंदौर नगर निगम में सीवर लाइन के करोड़ों रुपए के फर्जी बिलों के भुगतान के कथित घोटाले में फरार कार्यपालन इंजीनियर को उत्तरप्रदेश के एटा से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पंकज कुमार पांडे ने शनिवार को बताया कि नगर निगम के कार्यपालन इंजीनियर अभय राठौर को उत्तरप्रदेश के एटा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा और उसे पुलिस हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया जाएगा। राठौर नगर निगम के ड्रेनेज विभाग में लंबे समय तक पदस्थ रहे हैं। राठौर ने कुछ ठेकेदारों से मिलीभगत करके शहर में सीवर लाइन बिछाने के नाम पर उन्हें करोड़ों रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान करा दिया, जबकि हकीकत में ये लाइन कभी बिछाई ही नहीं गई थीं। उन्होंने बताया, पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि सीवर लाइन बिछाने के नाम पर नगर निगम में 53 करोड़ रुपए के फर्जी बिल पेश किए गए और इनके बदले 29 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

गुर्दा प्रतिरोपण मामले में निजी अस्पताल के दो चिकित्सक गिरफ्तार

जयपुर, 11 मई (भाषा)।

राजस्थान पुलिस ने किडनी प्रतिरोपण मामले में जयपुर स्थित एक निजी अस्पताल के दो चिकित्सकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस मामले में 'फोर्टिस अस्पताल जयपुर' के 'नेफ्रोलाजिस्ट' डा जितेंद्र गोस्वामी एवं 'यूरोलाजिस्ट' डा संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है।

राजस्थान सरकार ने अंग प्रतिरोपण के लिए फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) संबंधी मामले में मंगलवार को सवाई मान सिंह (एसएमएस) मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य डा राजीव बगरहट्टा एवं एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डा अचल शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से विमुक्त कर दिया था। राज्य सरकार ने डा सुधीर भंडारी को 'स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन' के सुचारू संचालन के लिए गठित 'स्टीयरिंग कमेटी' के चेयरमैन पद से भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया।

भाजपा ने केवल झूठे वादे किए : जूही बब्बर

गुरुग्राम, 11 मई (भाषा)।

अभिनेत्री जूही बब्बर ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और अपने पिता राज बब्बर के लिए चुनाव प्रचार करते हुए शनिवार को कहा कि गुरुग्राम के लोग अब बदलाव चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने प्रगति के नाम पर केवल उनसे झूठे वादे किए हैं।

पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी (आप) नेता उमेश अग्रवाल के कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए जूही बब्बर ने वादा किया कि उनके पिता अगर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं तो वह गुरुग्राम के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। जूही बब्बर ने कहा, 'अगर जनता ने मौका दिया तो मेरे पिता निश्चित तौर पर गुरुग्राम की भलाई के लिए काम करेंगे। आज जगह–जगह लगे गंदगी के ढेर यहां की भाजपा सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी हैं।' उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रगति के नाम पर गुरुग्राम के लोगों से केवल झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि यहां के लोग अब बदलाव चाहते हैं।

जूही बब्बर ने कहा, 'अगर जनता ने मौका दिया तो मेरे पिता निश्चित तौर पर गुरुग्राम की भलाई के लिए काम करेंगे। आज जगह–जगह लगे गंदगी के ढेर यहां की भाजपा सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी हैं।' उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रगति के नाम पर गुरुग्राम के लोगों से केवल झूठे वादे किए।

जूही ने कहा कि उनके पिता एक अनुभवी राजनेता हैं और वह नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए काम करेंगे। जूही के साथ मौजूद उनके पति और टीवी धारावाहिक के प्रसिद्ध अभिनेता अनूप सोनी ने कहा कि उनके ससुर राज बब्बर को गुरुग्राम के निवासियों से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। उमेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस और आप का गठबंधन संसदीय चुनाव में राज बब्बर की जीत सुनिश्चित करेगा। राज बब्बर का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से है। इस सीट के लिए छठे चरण के तहत 25 मई को चुनाव होगा।

नासिक में तेंदुए के हमले में छह वनकर्मी समेत नौ घायल

मुंबई, 11 मई (भाषा)।

महाराष्ट्र के नासिक जिले में पिछले दो दिनों में एक तेंदुए ने हमला कर तीन ग्रामीणों और छह वनकर्मियों को घायल कर दिया है। घायल वनकर्मियों में से एक की हालत गंभीर है। वन अधिकारी ने शनिवार को बताया कि संदेह है कि तेंदुआ घायल हो गया है, जबकि शावक को बचाने के लिए अभियान जारी है।

उन्होंने बताया कि तेंदुए ने सबसे पहले गुरुवार की शाम को इगतपुरी तालुका के उम्बरकोन गांव में पवन सूर्याजी सरुक्ते (12) पर उस समय हमला किया जब वह अपने माता–पिता के साथ खेत में जा रहा था। लड़के को घोटी इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद वन विभाग ने इलाके में पिंजरे लगाए और तेंदुए का पता लगाने के लिए तलाशी–अभियान शुरू किया। शुक्रवार तड़के तेंदुए ने उस समय दो स्थानीय लोगों और छह वनकर्मियों पर हमला कर दिया जब वे उसे पकड़ रहे थे। तेंदुए का पंजा जीभ पर लगने से एक वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें नासिक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मोटरसाइकिल पर फिलिस्तीनी झंडे वाली वीडियो की जांच शुरू

मोरबी, 11 मई (भाषा)।

गुजरात के मोरबी जिले की पुलिस ने उस वायरल वीडियो के सिलसिले में जांच शुरू की है जिसमें कथित तौर पर एक सड़क यात्रा के दौरान मोटरसाइकिलों पर फिलिस्तीनी ध्वज लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि वीडियो में गुजरात–36 नंबर प्लेट वाली तीन मोटरसाइकिलों पर फिलिस्तीनी ध्वज बंधे देखे जा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये मोटरसाइकिलें मोरबी आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) के साथ पंजीकृत हैं। मोरबी जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल त्रिपाठी ने कहा कि मोरबी पुलिस ने इन मोटरसाइकिल सवारों की पहचान करने और फिलिस्तीन के ध्वज लगाने के उनके उद्देश्य की जांच शुरू की है। राहुल त्रिपाठी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सभी मोटरसाइकिल सवार मोरबी के थे, लेकिन वीडियो पड़ोसी कच्छ जिले में कहीं फिल्माए गए थे। उन्होंने कहा कि हम सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व मेंपूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालयः 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर नंबर 79/1, घोरपडी, मुंडवा रोड, पुणे- 411036 ब्रांच ऑफ यूनिटः पहली मंजिल, साई स्क्वायर, 16/116-ए3, (45), भार्गव एस्टेट, सिविल लाइन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208 001
ई–नीलामी बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखा गया है पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवंबर 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बदल गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जेमनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) (इसके बाद अधिनियम के अनुसार इसे 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में जाना जाता है) जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। सुरक्षित संपत्तियां ई–नीलामी के माध्यम से 13/06/2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया जीएचएफएल/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **www.-grihumhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	संपत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मूल्य {ई}	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तारीख {जी}	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {आई}	नीलामी की तारीख और समय {जे}	बाधाएँ/न्यायालय मामले, यदि कोई ज्ञात हों तो {के}
1	ऋण संख्या एचएफ/0100/एच/21/100095 आशीष मोहन सक्सेना (उधारकर्ता) निशि (सह–उधारकर्ता)	सूचना दिनांकः 08/12/2023 कुल बकायाः रू. 2566474/– (रुपए पच्चीस लाख छियासठ हजार चार सौ चौहत्तर मात्र) 08/12/2023 को 13प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय पुर्नभुगतान होने तक.	भौतिक	मिन खसरा नंबर 44 मेसे प्लॉट नंबर सी 08 मध कमलनयनपुर तहसील जिला बरेली उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 44.99 वर्ग मीटर भास्कर हॉस्पिटल के पास, उत्तर प्रदेश पिन कोडः–243122का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, घिराः–पूर्वः–दीगर शक्स का प्लॉट, पश्चिमः–25 फीट चौड़ी सीसी रोड, उत्तरः–अब्बास बेगम का घर, दक्षिणः–रोशन जहां बेगम का प्लॉट।	रू. 19,44,469/– (उन्नीस लाख चवालीस हजार चार सौ उनहत्तर मात्र)	रू. 1,94,446.9/– (रुपये एक लाख चौरानवे हजार चार सौ छियालीस नब्बे पैसे मात्र)	12/06/2024 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	06/06/2024 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	06/06/2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पता– प्लॉट नंबर–68 तीसरी मंजिल गुड़गांव हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नंबर– 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी– **Support@bankeauctions.com**. संपर्क व्यक्ति – धरनी, ईमेल आईडी– **dharani.p@c1india.com** संपर्क नंबर– 9948182222 से ई–बोली के लिए अनिवार्य है, एवमं कि संभावित बोलीदाता लाभ उठा सकते हैं ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उन्हीं से इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या–000651000460 और आईएफएससी कोड– आईसीआईसी0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड–कोलकाता–700001, के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करनी होगी। किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से 06/06/2024 को या उससे पहले निकाला गया और अपना नाम **https://www.bankeauctions.com** पर पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता प्राप्त करें। आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क एवं सेवा प्रदाता से ई–नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ई–मेल करना होगा और पते पर स्वयं सत्यापित हार्ड कॉपी – पहली मंजिल, पीछे की ओर, 154–ए, 'ए स्क्वायर बिल्डिंग', सिविल लाइन्स, बरेली,, उत्तर प्रदेश–208001 मोबाइल नंबर। +91 9567626050 ई–मेल आईडी **rahul.r1@grihumhousing.com.** पर भेजनी होगी ।

ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://www.bankeauctions.com** और **www.grihumhousing.com** पर जाएं।

इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को 30 दिनों का नोटिस माना जाना चाहिए।

दिनांकः 12.05.2024 स्थानः लखनऊ — हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी — गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व मेंपूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

www.readwhere.com